


विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख आज दिनांक 17 माह 10 वर्ष 2023 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिणी है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और श्री ब्रह्मतेज चतुर्वेदी पुत्र स्व० बाबूराम चतुर्वेदी एवं श्रीमती सुधा चतुर्वेदी पत्नी श्री ब्रह्मतेज चतुर्वेदी निवासी-जे-28, जज कंपाउंड, जिला न्यायालय परिसर, मथुरा उ०प्र०। जिसकी एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ में अवध विहार योजना नामक मुहल्ले के सेक्टर-2बी में निर्मित एस.एफ.एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के भागीरथी एन्क्लेव 3BHK का फ्लैट संख्या-2B/T6-12A04 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 48,62,140.00 (रू० अड़तालिस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस मात्र) जिसका आधा रू० 24,31,070.00 (रू० चौबीस लाख इक्तीस हजार सत्तर मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या-2B/T6-12A04) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन, क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव रू० 48,62,140.00 (रू० अड़तालिस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या-2B/T6-12A04 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- 1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।


क्रेता
Sudha


विक्रेता

क्रमशः 2 पर


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 34473

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के द्वारा सुनील कुमार, संपत्ति प्रबन्धक अधिकारी ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।



क्रेता: 1

श्री ब्रह्मतेज चतुर्वेदी, पुत्र श्री स्व०बाबूराम चतुर्वेदी
निवासी: जे-28 जज कंपाउंड जिला-न्यायालय परिसर मथुरा उ०प्र०
व्यवसाय: नौकरी



क्रेता: 2

श्रीमती सुधा चतुर्वेदी, पत्नी श्री ब्रह्मतेज चतुर्वेदी
निवासी: जे-28 जज कंपाउंड जिला-न्यायालय परिसर मथुरा उ०प्र०
व्यवसाय: गृहिणी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री विनय खरे, पुत्र श्री सी०पी०खर
निवासी: T-6-301 भागीरथी एन्क्लेव अवध विहार योजना, शहीद पथ लखनऊ
व्यवसाय: नौकरी



श्री संदीप कुमार कर्नोजिया, योजना सहायक
निवासी: 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ
व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

दिनेश शंकर बाजपेई प्रभारी
उप निबंधक: सरोजनीनगर
लखनऊ
17/10/2023

बीरेन्द्र साथ पाण्डेय
निबंधक लिपिक लखनऊ
17/10/2023